ई-मेल

संचालनालय लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651
ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

क्रमांक अनुदान/ज/10/98–09/1170 भोपाल, दिनांक 01-12-09

आ दे श

म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क. एफ–37–13/98/20– दिनांक 2/3–11–2000 द्वारा अशासकीय किसान उ.मा.वि. कसमड़ा जिला मुरैना को शासनाधीन करते हुये कुल 35 पद स्वीकृत किये गये थे । जिनमें से उ.मा.वि. हेतु शिक्षा कर्मी वर्ग–1 संवर्ग में कुल 10 पद (04 कला, 4 विज्ञान, 2 कृषि) विषयवार स्वीकृत किये गये । तद्नुसार जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना से प्राप्त स्कीनिंग प्रतिवेदन का संचालनालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संबंधितों की वरिष्ठता, शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण के आधार पर संविलियन की स्थिति निम्नानुसार पाई गई है :–

1. अनुसूचित जन जाति – कोई उम्मीदवार नहीं – पद रिक्त
2. सामान्य वर्ग – श्री सतीश चंद्र शर्मा – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 (इतिहास)
3. सामान्य – श्री अखिलेश कुमार मिश्र एम.ए. (अंग्रेजी) तृतीय श्रेणी होने के कारण शिक्षा कर्मी वर्ग–2 पर
4. अनुसूचित जाति – कोई उम्मीदवार नहीं – पद रिक्त
5. ओ.बी.सी. – श्री रविन्द्र सिंह यादव – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 (कृषि)
6. सामान्य – श्री ऋषिकेश कटारे – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 (हिन्दी)
7. सामान्य – श्री बृजेन्द्र सिंह – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 जीव विज्ञान
8. सामान्य – श्री बलबीर सिंह तोमर – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 कृषि
9. सामान्य – श्री रामभोग शर्मा – शिक्षा कर्मी वर्ग–1 रसायन
10. अनु. जन जाति – कोई उम्मीदवार नहीं – पद रिक्त

शासन द्वारा संकायवार स्वीकृत पदों के आधार पर एक पद कला संकाय एवं 2 पद विज्ञान संकाय के रिक्त हैं जिन्हें आरक्षित कोटे से भरे जाना है । अतः इन आरक्षित पदों के विरूद्ध कार्यरत श्री रामलखन शर्मा, श्री विजय बहादुर सिंह एवं श्री हितेन्द्र सिंह परमार को दिनांक 30.10.09 को समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें श्री हितेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हुए । सुनवाई में उक्त सभी के अभिलेखों का परीक्षण करने पर इन्हें आरक्षण के आधार पर संविलियन की पात्रता नहीं पाई गई है । अतएव अपात्र कर्मचारियों को तत्काल कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाय साथ ही प्रकरण में तत्काल कैवियेट दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृ.क. अनुदान/ज/10/98–09/1171 भोपाल, दिनांक 01-12-09

प्रतिलिपि :–

1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल

2/ कलेक्टर मुरैना

3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशानुसार पात्र कर्मचारियों के संविलियन आदेश जारी करने की कार्यवाही तत्काल की जाना सुनिश्चित करें ।

—2—

4/ संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर
5/ संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ट कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर
6/ संयुक्त संचालक विधि कक्ष स्थानीय
7/ जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना की ओर भेजकर लिखा जाता है कि आरक्षित पदो के विरूद्ध कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में तत्काल कैवियेट दायर करने की कार्यवाही की जाय ।
8/ प्राचार्य, शासकीय उ0मा0वि0 कसमड़ा जिला मुरैना

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश